



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

Phone : +91-755-2578801-02, Fax: +91-755-2550498, website: www.esb.mp.gov.in, E-Complaint Id : Complaint.esb@mp.gov.in

समूह-5 के अन्तर्गत स्टॉफ नर्स, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा - 2026 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियमपुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 13-03-2026	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 27-03-2026
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 13-03-2026	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 01-04-2026
परीक्षा दिनांक व दिन	बुधवार, 15-04-2026 से प्रारंभ
परीक्षा शुल्क	
सीधी भर्ती /संविदा भर्ती पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये
	रु. 500/- प्रति प्रश्न पत्र रु. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
	केवल सीधी भर्ती - बैकलॉग हेतु
	कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम पी आनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित करने का समय
बुधवार 15-04-2026 से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 8:00 से 9:00 बजे तक	09:50 से 10:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से 2:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। **बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए।**
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबलस, डिजिटल वॉच, सन ग्लासेस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
- उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-2 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक ई.एस.बी. को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। ई.एस.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
- विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा, सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी।



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

समूह-5 के अन्तर्गत स्टॉफ नर्स, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2026

आयोजन के नियम एवं निर्देश विषय-सूची

स.क्र.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	समूह-5 के अन्तर्गत स्टॉफ नर्स, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2026	03 - 13
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिकाएँ	14 - 32
3.	3	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	33 - 45
4.	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	46 - 59
5.	प्रारूप-1	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	60
6.	प्रारूप-2	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे :- बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	61

अध्याय-01

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ङ) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पञ्जीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "उभयलिंगी" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रं. सी-3-02/2022/3/1 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के अनुसार परिभाषित उभयलिंगी होने का प्रमाण पत्र जैसा कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित है। यदि प्रमाण पत्र में पुरुष का उल्लेख किया गया है तब पुरुष उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे और यदि महिला का उल्लेख किया गया है तब महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।
- (ञ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (ट) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;
- (ठ) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ड) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ण) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (त) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (थ) "बोर्ड अथवा मण्डल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल;

3. **लागू होना :-** (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।
- (2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- (3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।
4. **विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना -** वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।
5. **अर्हकारी अंक -** (1) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-3-8/2016/1/3, भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, किन्तु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई सूची में से 'मेरिट' के आधार पर किया जावेगा।
- (2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -
- (क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए बोर्ड से कोई मांग नहीं करता है ;
- (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
- (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए शासन/बोर्ड द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और
- (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।
6. **विस्तार -**
- (1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।
- (2) बोर्ड, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।
7. **सेवा समूह - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. 468, भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर 2013, संशोधन परिपत्र क्र. 74, भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015, क्र. 416, दिनांक 10 अक्टूबर 2016 एवं क्र. 06, दिनांक 10 फरवरी 2017 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है। विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् - तालिका**

स.क्र.	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह-5	समूह-5 के अन्तर्गत स्टॉफ नर्स, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2026	तृतीय श्रेणी

8. **परीक्षा का आयोजन -** ऊपर कण्डिका 7 में उल्लिखित सेवा समूह-5 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/पद के लिए आयोजित की जाएगी। संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् - तालिका

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

स.क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण	अंक
1.	समूह-5	01	100	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरूचि	25
				(ब) तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	75

09. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

9.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् -

समूह-5

(क) अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) के साथ ही साथ संबंधित पत्रोपाधि (डिप्लोमा) उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता अथवा अध्याय-2 में उल्लेखित विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें।

9.2 अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा बोर्ड द्वारा उसकी अभ्यर्थिता की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि बोर्ड का।

9.3 आयु सीमा -

(अ) उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/ मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के **चालू वर्ष की 1 जनवरी** अर्थात् 01 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएगी :

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रं. 73/104/2022/आ.प्र./2021, दिनांक 02 फरवरी 2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है।

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं नियम क्र. 14 में दिए वर्गों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगी।

9.4 (1) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) अभ्यर्थी की आयु की गणना **01 जनवरी 2026** से निर्धारित की जावेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012, पत्र क्र./सी-3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	18 से 40
	म.प्र. के मूल निवासी अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ दिव्यांगजन / महिलाओ (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट सहित)

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन से मान्य/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

9.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

- (ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं नियम क्र. 14 में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगी।

9.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (i) ऐसे उम्मीदवार, जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिसों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- टीप :** (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“आयु-सीमा के संबंध में विशेषा उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिह्नित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।”

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम-03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

(क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषयवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/ अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल कर सकेगा।

10. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -

- (1) अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र ऑनलाईन पद्धति भरेंगे। किसी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/ कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिह्नित कर सकेगा।

11. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

- (1) बोर्ड, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त परसेंटाईल के आधार पर आवेदित पद अनुसार प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची जारी करेगा।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (6) समान परसेंटाईल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक/परसेंटाईल प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

12. नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाएँ -

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।

13. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -

- (1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।
- (2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मण्डल की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं, जिसके अन्तर्गत मण्डल के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

14. शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता -

1. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितम्बर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces Personnel –Exservicemen–other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय द्वात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।
3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधरण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।
4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -
 - 4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।
 - 4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।
 - 4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र।
- (4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू.एस. का प्रमाण पत्र।
- (5) अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज विभाग की मांग अनुसार.

16. आरक्षण -

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	-	27 प्रतिशत (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

सम्पूर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की Website- <http://gad.mp.gov.in> को देखे।

(2) शैक्षणिक आरक्षण -

- (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र 304 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

"किन्ही सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों (वन विभाग को छोड़कर) का पैंतीस (35) प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण शैक्षणिक और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट-वाइज) होगा।"

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पाटी)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत शैक्षणिक आरक्षण प्राप्त होगा।

(3) संविदा कर्मियों हेतु नियम :-

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के संदर्भ में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित

पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

- 3.1 विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- 3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
 - 3.2.1 विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
 - 3.2.2 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वॉछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 3.3 यदि किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार नियमित पद से समकक्षता निर्धारण के पश्चात 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो।
- 3.4 अगर किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
- 3.5 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जिसके लिए वह इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार नियमित पद के समकक्षता एवं अर्हता रखता हो। यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है, उसी विभाग में उसे नियमित नियुक्ति के अवसर दिए जाएं।
- 3.6 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 3.7 संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए इस प्रकार आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जायेगा, जिसके लिए नियुक्तकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण एवं अन्य अर्हताओं के संबंध में नियम बनाये जाकर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा।
- 3.8 संविदा अधिकारी/कर्मचारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी/कर्मचारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। विभाग स्तर पर समकक्षता स्तर की कार्यवाही इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार होगी।
- 3.9 संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी/कर्मचारी अंतिम रूप से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं. सी-5-2/2018/1-3(पार्ट फाईल), दिनांक 18/10/2022 के अनुसार संविदा अधिकारी/कर्मचारी हेतु आरक्षित पदों पर होरिजेंटल आरक्षण लागू होता है। अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।
- 3.10 नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- 3.11 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।
- (4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- (5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। बोर्ड द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ख) शारीरिक रूप से दिव्यांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं।
- (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।
- (घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।
- (6) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रं. सी/3-2/97/3/एक, दिनांक 10 फरवरी 1997 के अनुसार यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित (carry forward) नहीं किये जायेंगे, और ऐसे रिक्त पद को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नहीं भरा जायेगा। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है।

17. आवेदन शुल्क -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. और दिव्यांगजन घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा तथा वह आरक्षण, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमीलेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. यात्रा भत्ता -

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।
- (2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषतः आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी संबंधित अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप-1 में अपना बैंक खाता विवरण, परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न कर संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे।

19. परीक्षा केन्द्र - परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मण्डल के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा। प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय-3 के खंड-स में दी गई है।

20. निरर्हता -

- (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
(ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22. आवेदनों का रद्द किया जाना -

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा -

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

- (क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों; या
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (') परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।
- (ट) अन्य कोई आवश्यक कारण, जो मण्डल को उचित प्रतीत हो।

25. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार
- (क) भारत का नागरिक हो।
- (ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है।
- (ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

- (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

26. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु वांछित अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख न किया जाना। अर्थात् मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 के नियम-4 में विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है।

अतएव मण्डल के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3, भोपाल, दिनांक 25/07/2017 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति की प्रतिपूर्ति राशि भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। विभाग अपने बजट में नवीन मद सृजित कर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को फीस की प्रतिपूर्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान का प्रस्ताव विभागीय बजट में समाविष्ट करेंगे। दिव्यांगजन एवं ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्णय/निर्देश लागू होगा।

28. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे।

29. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासनविभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

अध्याय - 2

समूह-5 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडीकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग-सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2026

विभागवार पदों का विवरण

प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग/कार्यालय का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं	पद कोड	पदनाम	भर्ती का प्रकार	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या					कार्यपालिक/ अकार्यपालिक	
				अना	EWS	अजा	अजजा	अपिव		कुल
1. अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)	01	डेंटल टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	01	01	03	अकार्यपालिक
	02	लैब अटेंडेंट	सीधी भर्ती	02	02	0	02	01	07	अकार्यपालिक
	03	ट्रेसर ग्रेड-2	सीधी भर्ती	0	0	0	0	02	02	अकार्यपालिक
	04	डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट	सीधी भर्ती	01	0	0	01	0	02	अकार्यपालिक
	05	टेक्नीशियन असिस्टेंट	सीधी भर्ती	01	0	0	02	02	05	अकार्यपालिक
	06	टेक्नीकल असिस्टेंट	सीधी भर्ती	0	0	0	0	01	01	अकार्यपालिक
2. छिंदवाडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिंदवाडा (म.प्र.)	07	टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	01	0	0	0	02	अकार्यपालिक
	08	टेक्नीशियन	बैकलॉग	0	0	0	03	03	06	अकार्यपालिक
	09	टेक्नीशियन असिस्टेंट	बैकलॉग	0	0	0	0	02	02	अकार्यपालिक
	10	डेंटल टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	01	01	03	अकार्यपालिक
	11	लैब अटेंडेंट	सीधी भर्ती	02	0	0	0	0	02	अकार्यपालिक
	12	लैब अटेंडेंट	बैकलॉग	0	0	0	03	02	05	अकार्यपालिक
	13	ट्रेसर ग्रेड-2	सीधी भर्ती	01	01	0	0	01	03	अकार्यपालिक
	14	ट्रेसर ग्रेड-2	बैकलॉग	0	0	01	01	0	02	अकार्यपालिक
	15	डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
16	प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	0	01	02	अकार्यपालिक	
3. कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर	17	औषधि संयोजक(कंपांडर)	सीधी भर्ती	01	0	0	0	01	02	अकार्यपालिक
	18	पट्टी बंधक (ट्रेसर)	सीधी भर्ती	0	0	0	0	01	01	अकार्यपालिक
4. संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इंदौर (म.प्र.)	19	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	सीधी भर्ती	06	0	0	0	0	06	अकार्यपालिक
	20	ट्रेसर	सीधी भर्ती	02	01	0	0	0	03	अकार्यपालिक
	21	स्टाफ नर्स	सीधी भर्ती	04	03	0	0	0	07	अकार्यपालिक
5. संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	22	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	सीधी भर्ती	02	0	0	0	01	03	अकार्यपालिक
6. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)	23	लैब अटेंडेंट	सीधी भर्ती	04	0	01	03	03	11	अकार्यपालिक
	24	लैब टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	0	0	01	01	0	02	अकार्यपालिक
	25	टेक्नीशियन असिस्टेंट	सीधी भर्ती	02	01	0	01	02	06	अकार्यपालिक
	26	टेक्नीकल असिस्टेंट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	27	ट्रेसर ग्रेड-2	सीधी भर्ती	03	0	01	01	01	06	अकार्यपालिक
	28	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	सीधी भर्ती	0	01	01	0	01	03	अकार्यपालिक
	29	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
7. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा तथा संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा (म.प्र.)	30	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	31	डेंटल टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	32	डार्क रूम असिस्टेंट	सीधी भर्ती	02	0	0	0	0	02	अकार्यपालिक
	33	लैब असिस्टेंट	सीधी भर्ती	02	0	0	0	0	02	अकार्यपालिक
	34	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 (LD)	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	35	ऑप्टोमेट्रिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	36	कैथ लैब टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	37	निश्चेतना टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	02	0	0	02	0	04	अकार्यपालिक
	38	डायलिसिस टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	02	0	0	0	0	02	अकार्यपालिक

प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग/कार्यालय का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं	पद कोड	पदनाम	भर्ती का प्रकार	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या						कार्यपालिक/ अकार्यपालिक
				अना	EWS	अजा	अजजा	अपिव	कुल	
8. दि.म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि., भोपाल	39	कम्पाउण्डर	बैकलॉग	0	0	0	01	0	01	अकार्यपालिक
9. संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल	40	आयुर्वेद कम्पाउण्डर	सीधी भर्ती	37	12	15	28	33	125	अकार्यपालिक
	41	होम्योपैथी कम्पाउण्डर	सीधी भर्ती	06	02	03	04	05	20	अकार्यपालिक
	42	यूनानी कम्पाउण्डर	सीधी भर्ती	08	03	05	06	08	30	अकार्यपालिक
योग :-				102	27	28	61	73	291	

विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएँ

01. अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.) :-

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/7990/स्था/अराज/अबिवाजीएमसी/25, दिनांक 10/12/2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड 01 - सीधी भर्ती - डेंटल टेक्नीशियन - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	01	-	01	निरंक
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	-	-	-	01	-	03	

वेतनमान - 5200-20200+2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा। (3) म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 02 - सीधी भर्ती - लैब अटेंडेंट - कुल 07 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	-	-	02	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	01	-	01	-	02	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	01	-	-	01	-	02	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	01	-	01	
	योग	01	02	01	-	03	-	07	

वेतनमान - 4440-7440+1300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

पद कोड 03 - सीधी भर्ती - ड्रेसर ग्रेड-2 - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	निरंक
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	01	-	-	01	-	02	
	योग	-	01	-	-	01	-	02	

वेतनमान - 5200-20200+1800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) तीन माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण।

पद कोड 04 - सीधी भर्ती - डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	निरंक
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 4440-7440+1300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

पद कोड 05 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट - कुल 05 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	01	-	-	01	-	02	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	01	02	
	योग	02	01	-	-	01	01	05	

वेतनमान - 5200-20200+1900

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 06 - सीधी भर्ती - टेक्नीकल असिस्टेंट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	निरंक
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 5200-20200+1900

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

02. छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिंदवाड़ा (म.प्र.) :-

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिंदवाड़ा (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/स्था/अराज/सिम्स/2025/198, दिनांक 07/01/2025 एवं पत्र क्रमांक/स्था/अराज/सिम्स/2026/542, दिनांक 09/01/2026 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड 07 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	दिव्यांगजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01=VH, 01=EH, 00=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 5200-20200+2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 08 - सीधी भर्ती-बैकलॉग - टेक्नीशियन - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	-	-	01	-	03	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	-	-	-	01	-	03	
	योग	04	-	-	-	02	-	06	

वेतनमान - 5200-20200+2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 09 - सीधी भर्ती-बैकलॉग - टेक्नीशियन असिस्टेंट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	-	-	-	-	-	02	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 5200-20200+1900

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 10 - सीधी भर्ती - डेंटल टेक्नीशियन - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	03	-	-	-	-	-	03	

वेतनमान - 5200-20200+2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा। (3) म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 11 - सीधी भर्ती - लैब अटेंडेंट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01=VH, 00=EH, 00=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	01	-	02	

वेतनमान - 4440-7440+1300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

पद कोड 12 - सीधी भर्ती-वैकलॉग - लैब अटेंडेंट - कुल 05 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	-	-	01	-	03	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	-	02	
	योग	03	-	-	-	02	-	05	

वेतनमान - 4440-7440+1300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

पद कोड 13 - सीधी भर्ती - ड्रेसर ग्रेड-2 - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	03	-	-	-	-	-	03	

वेतनमान - 5200-20200+1800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) तीन माह का ड्रेसर प्रशिक्षण।

पद कोड 14 - सीधी भर्ती-बैकलॉग - ड्रेसर ग्रेड-2 - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 5200-20200+1800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) तीन माह का ड्रेसर प्रशिक्षण।

पद कोड 15 - सीधी भर्ती - डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 4440-7440+1300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

पद कोड 16 - सीधी भर्ती - प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक टेक्नीशियन - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 5200-20200+2400

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) प्रोस्थेटिक्स / आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा।

03. कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर :-

कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पत्र क्रमांक/कौविसं/स्थाप-प्र/सामा.-252/2024/6405, दिनांक 27/12/2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड 17 - सीधी भर्ती - औषधि संयोजक (कम्पांडर) - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 19500-62000

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मैसी में डिप्लोमा। (3) फार्मैसी काउंसिल में पंजीयन। (4) औषधि संयोजक के रूप में कम से कम तीन वर्ष का कार्य का अनुभव।

पद कोड 18 - सीधी भर्ती - पट्टी बंधक (ड्रेसर) - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 01= EH, 00=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 18000-56900

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा केन्द्र / संस्थान से 03 माह का पट्टी बंधक का कोर्स।

04. संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ, इंदौर (म.प्र.) :-

संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, नंदा नगर, इंदौर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/स्था/अवि/2026/470, दिनांक 16/01/2026 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड 19 - सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	-	-	-	03	-	06	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	03	-	-	-	03	-	06	

वेतनमान - 25300-80500 (लेवल 6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) मान्य प्राप्त संस्था से फार्मसी में उपाधि/डिप्लोमा व म.प्र. फार्मसी परिषद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट।

पद कोड 20 - सीधी भर्ती - ड्रेसर - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	01	-	-	01	-	02	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	01	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	-	02	-	-	01	-	03	

वेतनमान - 19500-62000 (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) ड्रेसिंग का ज्ञान।

पद कोड 21 - सीधी भर्ती - स्टॉफ नर्स - कुल 07 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	-	-	-	02	-	04	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	02	-	-	-	01	-	03	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	04	-	-	-	03	-	07	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) तीन वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्ष का जी.एन.एम. में डिप्लोमा तथा मान्यता प्राप्त नर्सिंग कौंसिल में रजिस्ट्रीकरण।

05. कार्यालय संचालक, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, मध्यप्रदेश, ग्वालियर :-

कार्यालय संचालक, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक/4192/स्था./2025, दिनांक 25/07/2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड 22 - सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	-	-	-	01	-	03	

वेतनमान - 5200-20200+2400

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिग्री/डिप्लोमा। (3) म.प्र. फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन।

06. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) :-

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/685/स्था/जीएमसी/2026, दिनांक 19/01/2026 एवं पत्र क्रमांक/898/स्था/जीएमसी/2026, दिनांक 23/01/2026 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड 23 - सीधी भर्ती - लैब अटेंडेंट - कुल 11 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	01	-	-	-	04	दिव्यांगजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 01=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	01	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	01	01	-	-	01	03	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	-	-	-	01	03	
	योग	03	04	02	-	-	02	11	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 10 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	01	-	-	-	04	दिव्यांगजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 01=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	01	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	01	01	-	-	01	03	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	01	02	
	योग	03	03	02	-	-	02	10	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 01 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	01	-	-	-	-	01	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	01	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 15500/- (लेवल 1)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण ।

पद कोड 24 - सीधी भर्ती - लैब टेक्नीशियन - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	निरंक
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	01	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	01	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 28700/- (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण । (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र । (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र ।

पद कोड 25 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	01	-	-	-	02	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	01	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	01	01	-	-	-	02	
	योग	02	02	02	-	-	-	06	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 05 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	01	-	-	-	02	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	01	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	01	-	-	-	-	01	
	योग	02	02	01	-	-	-	05	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 01 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	-	01	-	-	-	01	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	-	01	-	-	-	01	

वेतनमान - 19500/- (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।

पद कोड 26 - सीधी भर्ती - टेक्नीकल असिस्टेंट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 19500/- (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।

पद कोड 27 - सीधी भर्ती - ड्रेसर ग्रेड-2 - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	-	-	-	03	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	01	-	-	-	01	
	योग	03	01	02	-	-	-	06	

वेतनमान - 18000/- (लेवल 3)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) 03 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण।

पद कोड 28 - सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	01	-	-	-	-	01	
	योग	02	01	-	-	-	-	03	

वेतनमान - 25300/- (लेवल 6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिग्री/डिप्लोमा। (3) म.प्र. फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।

पद कोड 29 - सीधी भर्ती - रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन / रेडियोग्राफर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700/- (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।

07. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) :-

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/2922/स्था/अराज/एम.सी./2026, दिनांक 04/02/2026 के अनुसार श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा तथा संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा (म.प्र.) के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

(1) श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा (म.प्र.)

पद कोड 30 - सीधी भर्ती - रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन / रेडियोग्राफर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 31 - सीधी भर्ती - डेंटल टेक्नीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 32 - सीधी भर्ती - डार्क रूम असिस्टेंट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	01	-	02	

वेतनमान - 19500-62000 (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से एक्स-रे टेक्नीशियन में 01 वर्ष का पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 33 - सीधी भर्ती - लैब असिस्टेंट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	01	-	02	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से पेट्रोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.) / क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा / माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 34 - सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

(केवल एल.डी. दिव्यांगजन हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 25300-80500 (लेवल 6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिग्री/डिप्लोमा। (3) म.प्र. फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन।

पद कोड 35 - सीधी भर्ती - ऑप्टोमेट्रिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एवं रिफ्रेक्शन उत्तीर्ण। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

(2) श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा (म.प्र.)

पद कोड 36 - सीधी भर्ती - कैथ लैब टेक्नीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(2) मान्यता प्राप्त संस्था से कैथ लैब टेक्नीशियन का दो वर्षीय डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 37 - सीधी भर्ती - निश्चेतना टेक्नीशियन - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	-	02	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	-	-	02	-	04	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(2) मान्यता प्राप्त संस्था से एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का 02 वर्षीय डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 38 - सीधी भर्ती - डायलिसिस टेक्नीशियन - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	01	-	02	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

08. दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि., भोपाल :-

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि., पर्यावास भवन, ब्लॉक नं. 1(ए), द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/स्था./2026/कम्प्यू.नं.1088339/512, दिनांक 09/02/2026 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड 39 - सीधी भर्ती-बैकलॉग - कम्पाउन्डर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	निरंक
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल-7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पाउन्डर का प्रमाण-पत्र एवं 02 वर्ष का कार्यानुभव।

09. संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल :-

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भूतल, डी-विंग, सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.) 462004 के पत्र क्रमांक/ एफ./2026/2/स्था/517, दिनांक 20/02/2026 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड 40 - सीधी भर्ती - आयुर्वेद कम्पाउण्डर - कुल 125 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	17	09	03	-	06	02	37	दिव्यांगजनों की कुल 11 रिक्तियों में से 02=VH, 04=EH, 02=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	05	03	01	-	02	01	12	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	05	03	02	-	03	02	15	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	13	06	03	-	04	02	28	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	15	07	03	-	05	03	33	
	योग	55	28	12	-	20	10	125	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 109 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	17	09	03	-	06	02	37	दिव्यांगजनों की कुल 11 रिक्तियों में से 02=VH, 04=EH, 02=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	05	03	01	-	02	01	12	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	05	03	02	-	03	02	15	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	13	06	03	-	04	02	28	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	04	01	-	03	01	17	
	योग	48	25	10	-	18	08	109	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 16 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	07	03	02	-	02	02	16	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	07	03	02	-	02	02	16	

नोट - आयुर्वेद कम्पाउण्डर के कुल 125 पदों में 04 पद दिव्यांगजन सीधी भर्ती-बैकलॉग के सम्मिलित हैं।

वेतनमान - 25300-80500

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2) पद्धति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कम्पाउण्डर का एक वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण अथवा आयुर्वेद में डी-फार्मा उत्तीर्ण एवं म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन।

पद कोड 41 - सीधी भर्ती - होम्योपैथी कम्पाउण्डर - कुल 20 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	-	02	01	06	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	-	02	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	-	-	01	-	03	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	01	01	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	01	-	02	01	05	
	योग	05	03	02	-	07	03	20	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 18 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	-	02	01	06	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	-	02	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	-	-	01	-	03	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	01	01	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	01	03	
	योग	05	03	01	-	06	03	18	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 02 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	-	01	-	01	-	02	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	-	01	-	01	-	02	

वेतनमान - 25300-80500

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2) पद्धति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कम्पाउण्डर का एक वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन।

पद कोड 42 - सीधी भर्ती - यूनानी कम्पाउण्डर - कुल 30 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	01	-	01	-	08	दिव्यांगजनों की कुल 04 रिक्तियों में से 01=VH, 01=EH, 01=LD & 01=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	02	01	-	-	-	-	03	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	-	-	-	-	05	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	01	-	-	-	06	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	05	02	01	-	-	-	08	
	योग	17	09	03	-	01	-	30	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 26 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	01	-	01	-	08	दिव्यांगजनों की कुल 04 रिक्तियों में से 01=VH, 01=EH, 01=LD & 01=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	02	01	-	-	-	-	03	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	-	-	-	-	05	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	01	-	-	-	06	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	01	-	-	-	04	
	योग	14	08	03	-	01	-	26	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 02 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	03	01	-	-	-	-	04	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	03	01	-	-	-	-	04	

नोट - यूनानी कम्पाउण्डर के कुल 30 पदों में 01 पद दिव्यांगजन सीधी भर्ती-बैकलॉग का सम्मिलित हैं।

वेतनमान - 25300-80500

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2) पद्धति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण, जिसमें उर्दू एक विषय हो। मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी कम्पाउण्डर का एक वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होकर म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन।

अध्याय - 3

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 3.1**
- इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
 - आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढ़ाये/विलोपित किए जा सकेंगे।
 - अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं पदों के विकल्प/प्राथमिकताक्रम के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
 - समूह परीक्षा में विज्ञापित किए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प/प्राथमिकताक्रम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक/परसेंटाइल प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जायेगा, जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकताक्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है।
 - ऐसी पद तालिका, जिनमें Category/X/Open में पद विज्ञापित नहीं है। परन्तु प्रवर्ग यथा भूतपूर्व सैनिक, संविदाकर्मियों में पद विज्ञापित है, ऐसे विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में कन्वर्जन का नियम लागू करना संभव नहीं हो सकेगा।
- 3.2**
- आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
 - आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
 - परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के विकल्प चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये पदों की योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
 - किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
 - आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
 - ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
 - यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
 - आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई-आधार मान्य नहीं है।

- 3.4** परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Digital Watch, Sun glasses and whitener, इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं मण्डल के आदेश क्रमांक पीईबी/प-1/712/2020, भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) दिव्यांग तथा सेरिब्रल पल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा के लिए अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित मण्डल कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी, ताकि मण्डल स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :- यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जायेगा, साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किये जायेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

- (i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक घटाए जायेंगे।
- (ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही "सबमिट" किया जा सकेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

- (A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-
 - (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
 - (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 - (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
 - (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 - (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 - (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।
- (C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा, ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. मण्डल/5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3-8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम परसेंटाईल पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाईजेशन पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्र. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

- (a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{No. of candidates in shift (j) having proportionate scores} \leq X_{ij}}{N_j} \times 100$$

- shifts be denoted as S_1, S_2, \dots, S_K .
 - number of candidates appearing in each shift be denoted by N_1, N_2, \dots, N_K
 - X_{ij} be the actual/proportionate marks of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
 - P_{ij} be the percentile score of candidate X_{ij} , where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
- एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

- (b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 Step 1: Compute the percentile score P_{ij} of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 Step 2: Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij} = \text{ROUND}(\text{NORMSINV}\left(\frac{P_{ij}}{100} - 0.005\right), 6)$$

where,

- Z_{ij} = Z -value score of ith candidate & jth shift

A.4 Step 3: Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij} = AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where, T_{ij} = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

A.5 Step 4: Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score ((T_{ij})) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) will be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मण्डल की वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा। मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार मण्डल द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में :-**

- 1- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- 2- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफुसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
- 3- प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
- 4- नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- 5- सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- 6- सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- 7- परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- 8- परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
- 9- ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
- 10- उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
- 11- परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डाटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है, तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
- 12- परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफ.एम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) **पररूपधारण (IMPERSONATION)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

- 1- अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदक एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 2- विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा।

मण्डल द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली प्रावीण्य सूची मण्डल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में मण्डल परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र.मण्डल/2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

खण्ड-ब

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित यथाआवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा :-

- (i) अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि।
- (ii) आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के जाति/श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- (v) संविदा कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (vi) प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र व अन्य)।
- (vii) आवेदन-पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित विवरण (टेक्स्ट) लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

"मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।"

3.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप/ फार्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पहने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर – हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा :-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।

- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाइनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयों भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारीयों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार VID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
 1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में मण्डल द्वारा अधिमार्ग्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) केवल सीधी भर्ती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

- (अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)
- (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **ESB** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-
 - (अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंको के)
 - (ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयवधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.28 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3.29 पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.30 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया :-

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्र. 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012, परिपत्र क्र. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 06/06/2018 एवं परिपत्र क्र. एफ-7-22/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 30/05/2019 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय

जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु **निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता** को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु **संबंधित विभाग** को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।

- (ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/ विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।
- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के विज्ञापित पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) आवेदन-पत्र की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात बैगा, सहारिया/सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे।

3.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत मण्डल की E-mail ID "complaint.esb@mp.gov.in" पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

3.33 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की		
प्रारंभिक तिथि	अंतिम तिथि	कुल दिवस	प्रारंभिक तिथि	अंतिम तिथि	कुल दिवस
13-03-2026	27-03-2026	15	13-03-2026	01-04-2026	20

3.34 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	15-04-2026 से प्रारंभ	02 घंटे	प्रातः 10:00 से 12:00 तक	100
2	द्वितीय			दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से चयन/काला करना होगा।

3.35 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/- प्रति प्रश्न-पत्र	250/- प्रति प्रश्न-पत्र	क्रियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- क्रियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.36 परीक्षा शहर :-

आवेदको को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। मण्डल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त संबंध में मण्डल का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित संभावित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

आनलाईन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. खण्डवा	5. नीमच	6. रतलाम
7. रीवा	8. सागर	9. सतना	10. सीधी	11. उज्जैन	

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.37

- (i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबलड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (vi) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (vii) नियमपुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
- (viii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिंटआउट यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा।

अध्याय - 04

पाठ्यक्रम

(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधित
परिपत्र क्रमांक 74 दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार

प्रश्न पत्र का विवरण :

100 अंक

सं. क्र.	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान	25
2	सामान्य हिन्दी	
3	सामान्य अंग्रेजी	
4	सामान्य गणित	
5	सामान्य विज्ञान	
6	सामान्य अभिरूचि	
7	तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	75

पदों का एकजाई विवरण

स. क्र.	पदनाम	पद कोड	प्रश्न-पत्र कोड
1	डेंटल टेक्नीशियन	01, 10, 31	A
2	लैब अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड-2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, पट्टी बंधक (ड्रेसर), ड्रेसर	02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 27	B
3	टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट	05, 06, 07, 08, 09, 24, 25, 26, 33	C
4	प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक टेक्नीशियन	16	D
5	औषधि संयोजक (कंपाउंडर), फार्मासिस्ट ग्रेड-2, कम्पाउण्डर	17, 19, 22, 28, 34, 39	E
6	स्टॉफ नर्स	21	F
7	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट	29, 30, 32	G
8	ऑप्टोमेट्रिस्ट	35	H
9	कैथ लैब टेक्नीशियन	36	I
10	निश्चेतना टेक्नीशियन	37	J
11	डायलिसिस टेक्नीशियन	38	K
12	आयुर्वेद कम्पाउण्डर	39	L
13	होम्योपैथी कम्पाउण्डर	40	M
14	यूनानी कम्पाउण्डर	41	N

तकनीकी ट्रेड पर आधारित पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

(A) Dental Technician

1. Dental Anatomy and terminology
 - A study of anatomy and terminology related to construction of dental applications.
2. Complete Dentures
 - Overview of complete denture construction.
 - Anatomy and physiology of the mouth and associated structures.
 - Artificial teeth for complete dentures.
3. Partial Dentures
 - Principles and major component parts for removable partial dentures .
 - Partially edentulous classification, principles of survey and design, cast design, contour soldering, tooth arrangement and wax-up, process and finishing.
4. Tooth Morphology
 - An introduction to tooth morphology and element of occlusion.
5. Dental Material
 - Physical and chemical properties of materials used in dental appliance construction.
 - Testing and comparisons of dental materials.
6. Fixed Prosthodontics
 - The lost wax method of constructing fixed dental restorations.
 - Occluding metal crowns will be constructed on models of articulated posterior dentitions.
 - Metal crowns, pontics.
7. Complete Dentures Construction
 - Complete dentures and post-processing occlusal refinement.
8. Partial Denture Construction
 - The study and construction of removable orthodontics.
 - Contouring of wires to complete various techniques in anchorage, retention and tooth movement.
 - Removable cast partial frameworks.
 - Prescriptions, principles of design, spruing techniques.
 - Processing in cold cure, pour and heat cure techniques.
9. Fixed Prosthodontics
 - Stress directing attachments in fixed partial dentures.
 - Designing metal structures for ceramometal restorations.
 - Dental porcelains and aesthetic restorations.
 - Dental porcelains and ceramometal techniques, maxillofacial appliances.

(B) लेब अटेंडेंट / ड्रेसर ग्रेड-2 / डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट / पट्टी बंधक (ड्रेसर) / ड्रेसर

बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिसिक्स में हायर सेकेंडरी (10+2 प्रणाली) स्तर का पाठ्यक्रम

(C) पाठ्यक्रम - टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट,

APPLIED ANATOMY & PHYSIOLOGY - Study of the structure of a cell. - Normal anatomical Structure, Histology and Functions, (Physiology) of the all Human Body Systems,

BIOCHEMISTRY - Biochemical structure of the Carbohydrates Proteins, Lipids Enzymes, Clinical Biochemistry - Kidney function tests, Liver function Test, Cardiac Profile, Lipid Profile

HEMATOLOGY - Composition of blood, collection of blood and anticoagulants, Hb estimation, TRBC count - ANAEMIAS, Preparation & staining of blood films, Leukopoiesis), TWBC & DWBC Count, Absolute values, ESR, PCV, Reticulocyte count, Platelet count, BT & CT LE cell preparation, Sickling test, Osmotic fragility Bone Marrow Examination.

BLOOD BANKING - Blood Groups, Cross Matching, Coomb's test, Donor Screening, Blood Transfusion, & transfusion reactions, Blood Components

CLINICAL PATHOLOGY - Physical chemical & microscopic examination of urine, stool examination, Semen examination, CSF exam.

PARASITOLOGY - Parasites in Blood, stool & urine

MICROBIOLOGY - Morphology of Bacteria, Culture and isolation of bacteria, Gram positive and gram negative cocci and bacilli, Anaerobic spore bearing bacilli.

SEROLOGY - Antigen & Antibodies, Diagnosis of syphilis - VDRL & RA test., Widal test, ELISA test.

HISTOLOGY - Fixatives, Tissue processing, impregnation, Block making, Section Cutting, Basic staining of sections, Collection of tissues for histology, Method of Decalcification.

CYTOLOGY - Techniques & equipments required, Fixatives and staining procedure

(D) **PROSTHETIC AND ORTHOTIC TECHNICIAN / प्रोस्थो टेक्नीशियन**

Prosthetics (Upper Extremity)

(i) Classification by level of amputation. (ii) Medical consideration applied anatomy and pathological consideration

(iii) Classification of congenital skeletal limb deficiencies (iv) Prosthetic prescription (v) Amputee trainee (i) Components of upper extremity prostheses, control & harness systems. (ii) Fabrication principle & procedures for upper extremity prostheses (iii) Measurement fitting & alignment (iv) Check-out & care of B.E. prostheses.

(v) Bio-mechanics of U.E. prostheses. (vi) Harness & control systems Below Elbow harnessing & this causes, shoulder amputee harnessing (vii) Clinical aspects of U.E. prosthesis (viii) Training in the use of U.E. prosthesis (ix) Electro-mechanical myoelectric and other externally powered prostheses (x) Study of publication sources for updating information on upper limb prostheses

Prosthetics (Lower Extremity)

Medical Subjects (i) Levels of amputation & limiting factor (lower extremity)

(ii) Psychological aspects of amputation (iii) Classification of congenital skeletal limb deficiencies.

(iv) Prosthetic / Orthotic assessment and evaluation techniques (v) Prosthetic prescription (vi) Immediate & early Prosthetic management

Technical (i) Prosthetic components below knee & above knee (ii) Examination of stump, measurement, cast taking POP modification, fabrication, alignment & fitting procedures for below knee & above knee amputations (this include prosthesis for partial foot, choparts, syme's below knee, through knee above knee amputations

(iii) Gait analysis of BK/ AK amputees fitted with prostheses. (iv) Check out of below knee & above knee prosthesis (v) Maintenance & care of prosthesis (vi) Hip disarticulation & Hemipelvectomy prosthesis (vii) Bio-mechanics of below knee, above knee & hip disarticulation prosthesis (viii) Fluid controlled prosthesis (ix) Modular & other modern types of prosthesis

Orthotic (Upper Extremity)

Functional anatomy of the hand

How to train the patients to use functional splint & arms braces.

Measurement, selection of materials & components, fabrication & fitting of the following:

- (i) Static fingers hand splints. (ii) Functional hand splints (iii) Functional arm braces (iv) Feeders (v) Special assistive devices
(vi) Myoelectric & other externally powered upper extremity orthoses

Biomechanics of functional hand splints and arm Orthosis Orthotic (Lower Extremity)

Foot Orthoses

Medical - (i) Anatomy of Foot (ii) Orthotic - Prescription for different pathological condition, pathomechanics of foot & ankles.

Technical- (i) Shoes, boots & their components (ii) Shoe modifications, principles & procedures in clinical application (iii) Biomechanics of the foot

Ankle Foot Orthoses, K.O. KAFO, EKAFO, GIL, HKAFO-

Medical - (i) Pathomechanics Lower extremity (including foot, ankle, knee and hip.) (ii) Introduction to Orthotic management (iii)

Orthotic prescription (iv) The influence of error in bracing upon deformity of lower extremity (v) Gait training

Technical- (i) Lower extremity orthotic components & functions. (ii) Principles of taking measurements, selection of components, fabrication, alignment fitting and check-out of orthoses. (iii) Analysis of Pathological & orthotic gait (iv) Study of publications sources for up-to-date information on lower extremity Orthoses.

(E) पाठ्यक्रम - औषधि संयोजक (कंपाउंडर), फार्मासिस्ट ग्रेड-2

PHARMACEUTICS :- Introduction to different dosage forms, their classification with examples—their relative applications. Familiarization with new drug delivery systems. Introduction to Pharmacopoeias with special reference to the Indian Pharmacopoeia. Size reduction, Size separation, Metrology—system of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustment of products. Use of alligation method in calculations. Isotonic solutions. Mixing and homogenization. Packaging of pharmaceuticals Extraction and galenicals, Clarification and filtration, Heat processes, Introduction to drying processes, Distillation, Sterilization—concept of sterilization and its differences from disinfection—thermal resistance of microorganisms. Detailed study different sterilization processes. Study of immunological products like sera, vaccines, toxoids and their preparations., Processing of tablets, Processing of capsules

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY :- Acids, bases and buffers, Gastrointestinal agents, Acidifying agents, Antacids, Protectives and adsorbents, Saline cathartics. Antioxidants, Topical agents — (i) Protectives (ii) Antimicrobials and astringents (iii) Sulphur and its compounds (iv) Astringents—alum and zinc sulphate. Dental product, Inhalants, Respiratory stimulants, Expectorants and emetics, Antidotes. Major intra and extracellular electrolytes, Inorganic official compounds of iron, iodine and calcium; ferrous sulfate and calcium gluconate. Radio pharmaceuticals and contrast media radioactivity, Identification tests for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia. Quality control of drugs and pharmaceuticals

PHARMACOGNOSY :- Definition, history and scope of pharmacognosy including indigenous system of medicine. Various systems of classification of drugs of natural origin. Adulteration and drug evaluation; significance of pharmacopoeial standards. therapeutic effects and pharmaceutical applications of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins. Occurrence, distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever applicable and therapeutic efficacy of (a) Laxatives (b) Cardiotonics (c) Carminatives & G.I. regulators catechu. hyoscyamus, belladonna, aconite, ashwagandha, ephedra, opium, cannabis, nux vomica. rauwolfia. vasaka, tolu balsam, tulsi. guggal, colchicum, vinca. chaulmoogra oil. pterocarpus, gymnema sylvestro. gokhru, punarnava. ipecacuanha. benzoin, myrrh, neem, curcuma. cinchona. ergot. shark liver oil and amla. papaya, diastase, yeast. Collection and preparation of crude drugs from the market as exemplified by ergot, opium, rauwolfia, digitalis, senna. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings—cotton, silk, wool and regenerated fibres.

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY :- Introduction to biochemistry. Brief chemistry and role of carbohydrates, proteins, lipids, their classification and related diseases. Role of minerals and water in life processes. Brief chemistry and role of vitamins and coenzymes. brief concept of enzymatic, Introduction to pathology of blood and urine.

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY :- Definition of various terms used in anatomy, physiology, Structure of cell, unction of its components with special reference to mitochondria and microsomes. Elementary tissues of the body, Composition of blood, blood group and coagulation of blood, Name and functions of lymph glands. Anatomy and physiology of different body systems in Brief .

HEALTH EDUCATION & COMMUNITY PHARMACY :- Concept of health—definition, indicators of health, concept of disease, prevention of diseases. Environment and health. First aid—emergency treatment in shock, snake bite, burns, poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings. Fundamental principles of microbiology, organisms of common diseases. Non-communicable diseases—causative agents, prevention, care and control. Cancer, diabetes, blindness, cardiovascular diseases. Communicable disease—causative agents, modes of transmission and prevention. (a) Respiratory infections—chicken pox, measles, influenza, diptheria, whooping cough and tuberculosis. (b) Intestinal infections—poliomyelitis, hepatitis, cholera, typhoid, food poisoning, hookworm infection. (c) Arthropod borne infections—plague, malaria, filariasis. (d) Surface infections—rabies, trachoma, tetanus, leprosy. (e) Sexually transmitted diseases—syphilis, gonorrhoea, AIDS. Nutrition and health, vitamins and minerals. Demography and family planning, natural family planning methods, chemical methods, mechanical methods, hormonal, contraceptives, population problem of India. Epidemiology —Immunity and immunisation, immunological products and their dose schedule. Principles of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control.

DISPENSING PHARMACY :- Prescriptions : Reading and understanding of prescription; Incompatibilities in prescriptions, Posology: Dose and dosage of drugs, Dispensed Medications: (i) Powders (ii) Liquid oral dosage (b) Biphasic liquid dosage forms: • Suspensions • Emulsions (iii) Dental and cosmetic preparations: (iv) Semi-solid dosage forms: (a) Ointments (iv) emulsification. (v) Sterile dosage forms: (a) Parenteral dosage forms (b) Sterility testing, (c) Ophthalmic products— study of essential characteristics of different ophthalmic preparations.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II :- chemistry of pharmaceutical organic compounds covering their nomenclature, chemical structure, uses and the important physical and chemical properties. The stability and storage conditions and the different types of pharmaceutical formulations of the drugs.

Pharmacology and Toxicology :- Introduction to pharmacology, scope of pharmacology. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages. Various processes of absorption of drugs and the factors affecting them. Metabolism, distribution and excretion of drugs. General mechanism of drugs action and the factors which modify drugs action. Pharmacological classification of drugs. (i) Drugs acting on the central nervous system: (a) General anaesthetics, intravenous anesthetics. (b) Analgesic, antipyretic, sedatives and hypnotics, anti-convulsants, (ii) Local anaesthetics. (iii) Drugs acting on autonomic nervous system. (iv) Drugs acting one eye, (v) Drugs acting on respiratory system (vi) Antacids, (vii) Cardiovascular drugs, (viii) Drugs acting on the blood and blood forming organs. (ix) Drugs affecting renal function (x) Hormones and hormone antagonists (xi) Drugs acting on digestive system

Pharmaceutical Jurisprudence

(F) **स्टाफ नर्स**

1. **ANATOMY AND PHYSIOLOGY**

1. Structure and function of cell, tissue, Skeletal System, joints and muscles of body
2. Structure and function of various system of human body for exc. Nervous System Circulatory, Respirator System, Excretory system, Reproductive system, Endocrine system. And Digestive system of human body.
3. Sensory organs.

2. **NUTRITION ANDBIOCHEMISTRY** :- Macro nutrient and Micro nutrient. Cookery rules and Preservation of nutrients. Role of nurse in nutrition programme

3. **MICROBIOLOGY** :- Types of immunity, Immunization, Hyper sensitivity and auto Immunity, Control and Destruction of Microbes:-

Sterilization, Disinfection, Chemotherapy and Antibiotics, Pasteurization, Medical and Surgical Asepsis, Bio safety and Waste management

4. **NURSING FOUNDATION** :- concept of health, nursing profession, hospital policy, nursing process, documentation, Recording, reporting health assessment, and meeting general and special need of patients care of terminally ill patients.

5. **PSYCHOLOGY**

1. Personality development. Motivation and emotional process.
2. psychological assessment and mental health and hygiene.

6. **COMMUNITY HEALTH NURSING**

1. Health determinants, Epidemiology and nursing management of common communicable diseases and non-communicable diseases, population explosion and its control.
2. Health policy and planning, national health and family welfare programme, health agencies, role and responsibility of community health nurse

7. **MEDICAL SURGICAL NURSING**

1. Common signs, symptoms, and nursing management of medical and surgical systemic disorders of human body.
2. nursing management of pre and post-operative patients.
3. nursing management of communicable and non-communicable diseases
4. nursing management of patients in emergency and disaster situation.
5. nursing management of geriatric client
6. General clinical investigation
7. Oncology Nursing
8. Fluid and electrolytes balance and Imbalanced

8. **CHILD HEALTH NURSING**

1. modern concept of child health nursing, IMNCI, management of behavioral and social problem of children, care of new born and new born resuscitation, KMC

9. **MIDWIFERY AND OBSTETRICAL NURSING**

1. concept of midwifery and obstetrical nursing.
2. assessment and management of antenatal, intra-natal, and postnatal period.
3. assessment and management of normal neonates' high-risk pregnancy, abnormal Labour.
4. Drugs used in obstetric nursing, Family welfare programme.

10. **MENTAL HEALTH NURSING**

1. Principals and concept of mental health nursing, Assessment of mental health nursing,
2. nursing management of client with psychotic and neurotic disorder, legal issue in mental health nursing.

11. **NURSING RESEARCH AND STATISTICS** :- Research approach, design, sampling review of literature, and statistical analysis

12. **MANAGEMENT OF NURSING SERVICES AND EDUCATION**

1. skill of communication, inter personal relationship and human relation
2. Guidance and counselling, use of A V Aids, various method of class room and clinical
3. teaching, use of IEC material

4. Assessment of knowledge skill and attitude and OSCE
5. Management of nursing services in the hospital and community, in service education,
6. management of nursing institution and professional advancement, budget planning .

13. SOCIOLOGY

- a- Relationship between individual and society
- b- Social group, social changes, social control problems and different culture.
- c- Population, family and marriage and types of community in India.

14. NURSING ADMINISTRATION AND WARD MANAGEMENT

1. Administration and management process
2. Administration of Hospital department, Units, Wards
3. Management of equipment supply
4. Cost and financing of Health care
5. Vital statistics

(G) रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट

Anatomy and Physiology of Human Body

Introduction to the body as a whole. The cells, Tissues, Epithelium: Simple: Compound, Connective Tissues, Muscles, Cell regeneration, Membranes: mucous, serous, synovial **Osteology** (including whole skeleton, bones and joints) Development of bone (osteogenesis): cells involved Types and function of bone, Types of joints and various movement. **Axial Skeleton: Skull, Vertebral Column, Appendicular skeleton, Healing of bones.** **The respiratory system: Organs, Functions, Pharynx Larynx – Functions, lungs:** lobes, lobules, pleura.

Radiographic, Photography

Photographic process, Photographic emulsions, Film materials in x-ray department. History, structure of an x-ray film, single sided films, types of films, Spectral sensitivity of film material, graininess of film material, speed and contrast of photographic material, **Sensitometry:** photographic density, characteristic curve features of the characteristic curve, **The storage of film materials and radiograph:** Storage of unprocessed films, storing of radiographs, **Intensifying screens and cassettes. Luminescence:** fluorescence and phosphorescence. Construction of an intensifying screen, The fluorescent materials. Types of intensifying screens. Intensification factor. The influence of KV, scattered radiation. Detail, sharpness and speed, size of the crystals, reciprocity failure, Cassette design, care of cassettes, mounting of intensifying screens, Care of intensifying screens, tests to check screen film contact and light leakage, **Film processing:** Development: The nature of development, manual, automatic. The PH scale, The constitution of developing solutions and properties of development chemicals, The development time, factors in the use of a developer. Developers in processing systems, **Film processing:** fixing and role of a fixing solution. Constitution of the fixing solutions and properties of the Constituents, Fixers used in automatic processors. Factors affecting the use of the fixer, Regeneration of fixing solution. Silver recovery and its various methods, Rinsing, washing and drying. Objects of rinsing and washing, methods employed. Methods of drying films, Preparation of solutions and making stock solution, **Processing equipment: , Dark room: , Systems for daylight film handling , The radiographic image ,** Unsharpness in the radiographic image. Various factors contributing towards unsharpness, The presentation of the Radiograph. Identification markers and orientation. Documentary preparation, **Viewing accessories,** Light images and their recording, **Fluorography: , Subtraction: ,** Common film faults due to manufacturing as well as due to chemical processing, Management of the quality of the Radiographic image.

ELEMENTARY RADIATION PHYSICS

Structure of matter and principles of machines, electricity and electromagnetism applied in radiological instruments. Physics principles in design and working of x-ray tube technology. Construction and working principles of transformers and autotransformers used in x-ray

circuits. Measurement of voltage special KV meters. Measurement of tube current in milli and microamperes. Principles of thermionic emission and rectification in x-ray technology. High voltage D.C. circuits in imaging and therapy tube circuits. Electrical hazards and safety x-ray tube rating in imaging and therapy x-ray tubes and thermal safety. Introduction to intensity of radiation in general and its variation by distance. Introduction to eletroma-genetic spectrum, definition of wavelength and its quantum relationship with peak kilovoltage. Physical principles of radiation and optical field coverage and the factor affecting the field projected on patient during x-ray imaging and radiotherapy exponential and trigonometric functions used in radiological calculations.

Radiography Techniques

Skeletal system: Radiography techniques for x-ray of: (a) Upper limb with special reference to joint. (b) Lower limb which includes all the bones with special reference to joint. femur and metatarsals, etc. (c) Shoulder girdle and thorax. (d) Vertebral column with special techniques for cervical spine, intervertebral joints and foramina. Limbo-sacral joint. (e) Pelvic girdle and hip region. (f) Respiratory system chest radiography for both the lungs, apical, lordotic and oblique views, techniques to decubitus AP and lateral views.

Anatomy and Physiology of Human Body :

Types of cells, tissues, bones and joints. Introduction to system and cavities of the body. Heart and Blood vessels, The Lymphatic System: The Digestive System:, The Urinary System:, The Reproductive System: Male & Female Reproductive system:, The Endocrine System:, **The Organs of Sense**:

RADIATION PHYSICS INCLUDING RADIATION PROTECTION

Atomic structure as applied to generation of x-rays and radioactivity spectrum of diagnostic imaging and therapy x-rays. Effects of variation of tube voltage, current, filtration, HT waveform and target material on x-ray production. Laws of radioactivity and decay schemes of different alpha, beta, gamma ray, negatron and positron emitters as used in medicine especially in radiotherapy. Artificial radionuclide generators employed in medicine in general and radiotherapy sources in particular. Interaction of radiation with matter attenuation absorption and scattering phenomena. Photoelectric absorption, Compton scattering, pair production and annihilation process, ionisation, effects of geometry of thickness of the absorber. Dependence on the nature and atomic number of the absorber and on radiation quality. Transmission of x-ray through body tissues. Linear energy transfer. Range of secondary electrons and electron build up. Relative amounts of scatter from homogeneous and heterogeneous beam during the passage through a patient. Physical requirements of beam defining devices e.g. cones, diaphragm, collimators etc. Units of radiation measurement specification of quality and half-value thickness (HVT) and its measurements, filters and filtration. Measurements of radiation and dosimetric procedures. Radiation detectors and their principles of working. Definitions of Bragg-peak, percentage depth dose, and peak scatter factor, tissue air-ratio, tissue maximum ratios scatter air ratio, isodose curves and radiation penumbra of different beams. Wedge filters, scattering foils. Physics properties of phantoms, phantom materials, bonus and bolus substitutes. Factors used for treatment dose calculation method. Physical aspects of electron and neutron beam therapy.

Radiation Protection:

Definition of radiation hazards maximum permissible dose and annual limit of intake (ALI), permissible dose levels on and around sealed source housing and installation principles of radiation protection and MPD's of different ICRP rules, stochastic and non-stochastic effects. Importance of 'ALARA' physical principles of design and planning of radiation installation. Safe work practice in tele therapy and Brach therapy. Shielding materials, radiation surveys and personnel monitoring devices film badges. TLD badges, pocket dosimeters.

BASIC RADIOGRAPHIC TECHNIQUES

Skull: Radiography of cranial bones, cranium, sella turcica, orbit, optic foramina, superior orbital fissure and inferior orbital fissure.

Facial Bones:. **Dental Radiography:**. **Abdomen:**, **Macro radiography:**, **Stereography:**, **Soft tissue techniques:** , **Operation theatre techniques:**

Radiography:- techniques including special procedures.

Ventriculography and encephalography, Myelography, Angiography

(H) Optometrist

Anatomy of eye, Physiology of eye - General consideration of different terms used in ophthalmology. Common diseases of eyelids. Common diseases of conjunctiva. Common diseases of sclera Common diseases of iris & ciliary body. Glaucoma Cataract. Orbit. Examination of eye. Special investigation of eye. Demonstrations – on above subjects. Visual acuity. amplitude of accommodation. Colour vision. Principle of Radioscopy. Static refraction. Errors of refraction. Myopia. Hypermetropia. Astigmatism. Aphakia. Presbyopia. Anisometropia. Anisokomia. Physical optic. Properties of light. Principal of reflection. Principal of refractions. Lenses and their combinations. Lens some try. Keratometry. Contact lenses. Indications. Types. Uses. Practice – Low vision aids.

(I) SYLLABUS FOR CATH LAB TECHNICIAN

Applied Anatomy & Physiology: Study of the structure of a cell.– Normal anatomical structure, Histology & Functions (Physiology) of the following systems. The circulatory system (Heart– & Blood Vessels) The Respiratory system The Digestive system Liver & Pancreas Lymphatic system Urinary system Reproductive system – Male & Female Endocrine system Central nervous system (Brain & Spinal cord)

Cardio-vascular pharmacology. Electro cardiography- Electrophysiology, Einthevennis law Introduction to ECG Reading normal and Abnormal ECG. Cardio pulmonary resuscitation Electricity- Power Supply system, Ohm's Law CRT. TUBE multi meter. Electro med, equipment standards and safety ECG Maintenance of minimum repairs Applied aspects of Ultra sound/ Doppler principles and practice. Defibrillator- indication, operation and indications and Precautions. Arrhythmia's conduction/abnormalities, pacemaker Stress ECG principles, methods of recording and observation. Holter Recording- principles, methods of recording and observations. Introduction to cardiac catheterization.

Introduction Normal Physiology Vascular Resistance Vascular Heart disease. Stenotic Lesions Regurgitate Lesions. Congenital Heart Disease Acyanotic obstructive & Left to Right Shunt Cyanotic CHD Cardiac Output –L.V. Function assessment –Coronary Graft Angio – Coronary Graft Angio Oxygen consumption calculation Exercise and Cath. PTCA (Percutan Transmural coronary Angiography). Valvuloplasty (i) Mitral Valvuloplasty. (ii) Aortic Valvuloplasty. (iii) Pulmonary Valvuloplasty. IABP (Intra Aortic Balloon pump). CPR. Pressure recording. Care of the patient following cardiac catheterization. Post – Angioplasty care post valvuloplasty cares. Pre-cath evaluation with check lists –. Pre PTCA evaluation with check lists . Pre – Valvulo plasty evaluation check lists. Emergency cardiac cath and coronary angiogram. Permanent Pace Maker implantation after care. Radiology a. Single plain b. Bi- plain. c. DSA. d. angulations.. Film developing/processing

ELECTRICITY AND ELECTROSTATICS: Simple electron theory of conduction's. Resistance. The Joule, The watt. Properties of electric charge. Capacitor. Electronic potential/potential difference (PD). Types of AC/DC. Basic of Ac/Circuits. Magnetism/Electromagnetism/Electromagnetic induction: Magnetic poles/Fields/ flux and in flux density. Magnetic field due to a straight and circular coil wire. The AC transformer.

COMPUTER SCIENCES: FUNDAMENTALS: Evolution of computers, contributions of eminent scientists of the field of computers, field. Concepts of computer hardware, input/output devices, central processing unit, main memory, secondary memory etc. Definition of instructions, programmes software. Software spectrum system software, business orient applications, R & D type research S/W, real time software etc. Languages – Machine languages, assembly languages, natural languages. Significance of Grammar in computer languages. LOGIC DIAGRAMS: Flow charts – symbols and their significance. Variables –simple variables array variables.

BASIC LANGUAGES: Input/output commands, assignment, if then, if then R Statements, for Next statement, GOTO, on GOTO STOP interactions, swapping, ascending and descending order also arrays DIM command. Data Types : Integer, Real double precision files: Data fields, records, data files, program file sequential files, random files etc. Basic aspects with special emphasis on applied aspects as related to medicine, electricity, sound, pressure, properties of solids and liquids and magnetism. Biomechanics. Electronics – Basic principles with special reference to applied aspects as related to medicine. Basic aspects of computers and computer language.

(J) निश्चेतना टेक्नीशियन

1. Preliminary knowledge of basic principles of anaesthesia equipments. (Gas pipeline system, oxygen cylinders, anaesthesia machine, various circuits tubes, vaporizers, monitors, ventilators.)
2. Basic knowledge of drugs commonly used in anaesthesia practice (in OT, ICU), resuscitation.
3. Cleaning & sterilization of the equipments used routinely.
4. To assist the anaesthesiologist in preparing the patient for anaesthesia. And intra and post-operative care for the patient.
5. To assist the anaesthesiologist in ICU. (Care of the unconscious patient)
6. To learn and assist the anaesthesiologist during CPR.
7. Documentation of anaesthesia record.

Operation Theatre Technician Topics for Anaesthesia:

1. Introduction and types of anaesthesia.
2. General anaesthesia – anaesthetic gases and volatile anaesthesia agent.
3. Equipment for general anaesthesia – anaesthetic machine & other instrument preparation and arrangement.
4. Drugs used for pre-operative, intra operative and post-operative medication.
5. Arrangement drugs and other equipment in O.T.
6. Regional Anaesthesia – spinal, epidural, nerve & plexus blocks.
7. Preparation and arrangement for regional anaesthesia.
8. Clinical observation and identification of sign and symptoms of shock, allergic reactions respiratory distress & assistance in other emergency conditions.
9. Requirements and assistance in conduct of anaesthesia intensive therapy unit and resuscitation.
10. Intravenous infusion solutions and blood transfusion therapy.
11. Pre- operative check- up, and preparation of patient for anaesthesia.
12. Post –operative observation and care of patient.
13. Maintenance, care and sterilization of anaesthesia equipments.
14. Care, maintenance and use of monitoring equipment used in anaesthesia.
15. Record keeping and maintenance of record of drugs and patient anaesthesia record.

(K) Dialysis Technician

1. Structure and function of Kidney (Anatomy & Physiology)
2. Introduction of renal diseases.
3. Renal failure – Acute Chronic and immediate management.
4. History of dialysis.
5. Principles and types of dialysis.
6. Vascular access for dialysis.
7. Anticoagulation : Principles and problems.
8. Haemodialysis Machine : Working Principles and maintenance.
9. Water Treatment Plant: Working Principles and maintenance.
10. Complication and management of complication during dialysis.
11. Assessment of adequacy of dialysis.
12. Reuse of dialysis.
13. Sterile techniques in dialysis.
14. Emergencies in dialysis.

(L) **आयुर्वेद कम्पाउण्डर -- पाठ्यक्रम**
आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य शिक्षा

1. आयुर्वेद परिचय, लक्षण, आयुर्वेद का प्रयोजन।
2. अष्टांग आयुर्वेद एवं लघुत्रयी, बृहत्त्रयी तथा प्रत्येक विभाग के ख्याति प्राप्त ग्रंथ ।
3. स्वास्थ्य की परिभाषा, त्रिसूत्र चतुष्पाद, त्रिस्तम्भ, त्रिउपस्तम्भ ।
4. दोष, धातु मूल, अग्नि का सामान्य परिचय, परिभाषा प्रकार एवं लक्षण।
5. विभिन्न वैज्ञानिक शब्दों का परिचय - द्रव्य (स्थावर, जांगम, पार्थिव), विविध औषध (देवव्यपाश्रम सत्वावजय) प्रकोप, प्रशमन, द्विविध औषधि (शोधन शमन), (ऋतु) आदान काल एवं विसर्ग काल, हंसोदक, देश (जागल आनूप साधारण) सामान्य, विशेष सिद्धान्त, पंचमहाभूत, देह प्रकृति एवं मानस प्रकृति पथ्य एवं अपथ्य ।
6. औषधि सेवनकाल, अनुपान एवं इसका महत्व ।
7. आयुर्वेद का पत्र-पत्रिकार्ये।
8. स्वास्थ्य की परिभाषा एवं अवधारणा
9. स्वास्थ्य एवं आहार ।
10. व्याधि उत्पत्तिकर भाव।
11. स्वस्थवृत्त
12. संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम।
13. आदर्श ग्रह, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता का सामान्य ज्ञान ।
14. मातृ एवं शिशु कल्याण, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर कर्म, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन ।
15. मांसपेशियों एवं अस्थियों का परिचयात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान। मांसपेशियों :- डेल्टॉयड, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स अस्थियों फीमर, टीबिया फिबुला, ह्यूमरस रेडियस अलना। शिरार्ये:- जुगलर वेन, फीमोरल वेन, सुपीरियर अस्थिया वेनाकावा, इन्फीरियर वेनाकेवा. धमनियां :- रेडियल एवं कोरोनरी आर्टरी
16. श्वसन संस्थान, रक्तवह संस्थान, पाचन/मूत्रवह एवं प्रजनन संस्थान एवं वातवह संस्थान नवर्स सिस्टम का सामान्य परिचय व ज्ञान ।
17. नाडी, रक्तचाप, श्वसन, श्वसनगति, तापमान एवं शलाका से मंत्र निर्गमन, इन्टेक एवं आउटपुट चार्ट की व्यवस्था का सामान्य परिचय एवं ज्ञान।

द्रव्यगुण विज्ञान

1. द्रव्यगुण का सामान्य परिचय एवं प्रमुख ग्रंथों (निघण्टुओं) का ज्ञान
2. द्रव्य, रस, गुण बीर्य, विपाक एवं प्रभाव का सामान्य परिचय।
3. बृहत्त्रयी एवं आधुनिक मतानुसार द्रव्यों का वर्गीकरण
4. द्रव्यों का पाच्यभौतिकत्व, रसों का षडविधत्व, मधुरादि षडरसों के गुणधर्म
5. निम्नलिखित वैज्ञानिक शब्दों का प्रारम्भिक ज्ञान दीपन, पाचन, शमन, अनुलोमन, संसन, भेदन, रेचन, वमन, ग्राही, स्तंभन, छेन, लेखन, बाजीकरण, रसायन, व्यवायी, विकाशी, मदकारी, प्रमाथी अभिष्यन्दी, योगवाही।
6. निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान: दशमूल, पंचवल्कल, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, त्रिजात, चातुजात, पंचकोल, चगणषण तृणमूल कण्टकपंच अष्टदुध, स्नेह, मूत्र चतुराम्ल, पंचम्ल, दशमनि ।
7. ऋतुओं के अनुसार द्रव्यों का संग्रह, द्रव्यों का महत्व एवं प्रतिनिधि द्रव्य ।
8. द्रव्यों की संग्रह विधि, संग्रहित द्रव्यों से औषधि द्रव्य को निकालकर उनका शुष्कीकरण औषधि द्रव्यों की पहिचान का उपद्रव्यों से अलगव की विधि।
9. औषधिय पौधों का संवर्धन
10. निम्नलिखित द्रव्यों का परिचय, पर्याय एवं औषधीय गुणकर्म:
कण्टकारी, बृहती, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, गोक्षुर, पाटला, बिल्व, अग्निमंथ, हरीतकी, श्योनाक, आमलकी, शुण्ठी, गंभारी, पिप्पली, चित्रक, पिप्पलीमूल, पारसपीपल, वट, अश्वत्थ, उदुम्बर, नीम, प्लक्ष, तुलसी, कुमारी, बलाचतुष्टय, शतावरी, अर्जुन, शंखपुष्पी, शरपुखा, आरग्वध, एरण्ड, स्नुही, निर्गुण्डी, निंबु, भूमिम्ब, भृंगराज, नागरमोथा, दूर्वा, धान्यक, घातकी, गूड्ची, मधूक, कुटज, पुनर्नवा, मरिच, शिरीष, अपामार्ग, अर्क, अजमोदा, अम्लिका, पाठा, बदर, मदनफल, विडंग, शाल्मली, शोभांजन, शिशपा, काकमाची, मजिस्ता, ब्राह्मी, एला, कटुकी, पाषाणभेद, विदारी, चंदन, जटामासी, दाडिम, कुष्माण्ड, वार्ताक, काकाडाश्रंगी, शतपुष्पा, दारुहरिद्रा, करवीर, भूम्यामलकी, विजयसार, अतिविषा, पर्यटक, प्रियाल, मेथिका, कम्पिलक, हरिद्रा, सर्पगंधा, सर्पगन्धा, कपित्थ मसूली, मधुराष्टी, मण्डूकपर्णी, पारसीक यवानी, गोरखमुंडी, बाकुची, अश्वगंधा, पलाश, वचा, मूलक, वत्सनाभ, वकुल, शफालिका, शैफालिका, लज्जालु, नारिकल, भंगा, पुष्करमूल, स्वदिर, अहिफेन, वासा, अशोक, स्वर्णक्षीरी, तालीस पत्र, धत्तुर, शिम्बी, भल्लातक, लवंग, स्वकृ, द्राक्षा, अलाबू, शूरण, इन्द्रयव, रसोन, गुग्गलु कपीकच्छु, कुपीलू, किरातिक, ज्योतिषमति, देवदारु, जातिफल, दुग्धिका, गुंजा

रसशास्त्र

1. रसशास्त्र का परिचय रस एवं रस के पर्याय, रसशास्त्र में रस का महत्व रसोषधियां ।
2. महारस उपरस एवं साधारण रस की पश्चिम एवं स्वकी इस का शोधन, अशुद्ध रोवन जन्य विकार, धान्याक
3. धातु एवं मण्डूर का परिचय एवं खरू मण्डर शोधन की सामान्य एवं विशिष्ट विधियां
4. निम्न द्रव्यों का परिचय एवं स्वरूप मुक्ताप्रवाल, शंख, गोदन्ती, बदराम, समुद्रफेन, कुक्कुटवर्क टंकण, मृगशृङ्ग।
5. निम्नलिखित यंत्रों का परिचय एवं उपयोग: तुला स्वत्व उलूखल, पालिका, स्थाली, ढोला, डमरू, दुक, स्वेदनी, विद्याधर, कच्छप विविध बालुका पर पाताल संधिवाकडमट्टी
6. पूट परिचय एवं उपयोग सामान्य उपयोग विधि एवं पुटपाक में आधुनिक तकनीक का प्रयोग।
7. निम्नलिखित वैज्ञानिक शब्दों का सामान्य ज्ञान स्वांगशीत, दहिशीत दालन, आवाप निर्वाप, सत्व, वनौषधि सत्व, लवण, पंचक, क्षारत्रय, क्षारपंचक, पंचामृत, पंचगव्य, पंचाज, पंचमाहिष, पंचमृतिका, ककसास टक, दुति द्वावणगण, दुग्धवर्ग, गुषा, मूत्रवर्ग, मुद्रा, कोष्ठी।
8. शोधन का परिचय एवं उद्देश्य
9. मारण परिचय एवं उद्देश्य मृत लौह परीक्षा

10. रस का ग्राह्य एवं अग्राह्य स्वरूप अशुद्ध पारदजन्य विकार एवं शांति के उपाय, रसदोष, रस गति, पारद शोधन के समय द्रव्यगत एवं शरीरगत सावधानियां। शोधन की सामान्य एवं विशेष विधियां अष्टसंस्कारों का सामान्य परिचय, हिंगुलोत्थ पारद एवं इसका महत्त्व।
11. हिंगु एवं गुग्गुलु के कुछ योगों का परिचय एवं निर्माण विधि।
12. निम्नलिखित द्रव्यों के शोधन, मारण प्रायोग एवं प्रत्येक के कुछ योगों का परिचय प्रवाल, शंख, शुक्ति, कपर्दिका, स्फटिका, दुग्धपाषाण, गोदन्ती, बदराशम, समुद्रफेन कुक्कुटाण्डतवक भृंगशृंग टंकण का शोधन एवं सामान्य प्रयोग
13. पिष्टी कल्पना-परिचय, निर्माण विधि सामान्य प्रयोग एवं प्रत्येक के कुछ योग प्रवाल, मुक्ताशुक्ति जहरमोहरा, अकीक ।
14. स्वल्वीय रसायन, कुपीपक्व रसायन पर्पटी रसायन, पोटटली रसायन ।
15. मच्छन्ना सगन्ध, निर्गन्ध, साग्नि निरग्नि, अत्तधूर्म बाल जारंगा ।
16. कज्जली, रसपंटी, पंचामृत पर्पटी बोल पर्पटी, श्वेत पर्पटी, रस सिंदूर ताम्बासिंदूर, मल्ल सिंदूर समीरपन्नग तलस्थ स्वर्णबंग, रसकर्पूर। उपरोक्त सभी की निर्माण विधि एवं प्रयोग तथा कुछ योगों का परिचय।
17. अब्रक, मालिक, कासीस, हरताल के मारण का वर्णन एवं सामान्य प्रयोग कुछ योग एवं लोहितीकरण।
18. निम्न इदों के मारण, सामान्य प्रयोग एवं कुछ योगों का वर्णन जैसे स्वर्ण, रजत, लोह, ताम्र, मण्डूर, अमृतीकरण भानूपार्क, स्थालीपाक, पुटपाक, सोमनाथी ताम्र भस्म का विवरण।
19. नाग, वंश एवं यशद का जारण एवं मारण इसके कुछ योगों का सामान्य प्रयोग
20. निम्न का परिचय, निर्माण विधि एवं सामान्य प्रयोग द्वावक कल्प शंखद्राव, गंधक द्राव ।

भेषज्य कल्पना एवं भेषज्य शाला प्रबंधन

21. भेषज्य कल्पना का परिचय, प्रशस्त भेषज, चतुष्पाद मे भेषज का महत्त्व।
22. कल्पना - संस्कार एवं उनकी सर्वोयता अवधि निर्मित औषधियों का भंडारण एवं सरक्षण, अनुक्त की अवस्था में अर्थग्रहण, पुनरुक्त, लेशकित।
23. मान का महत्त्व, विभिन्न मानों का परिचय एवं उनका मीट्रिक पद्धति में रूपांतरण शुष्क एवं आद्र द्रव्य ग्रहण विधि मात्रा एवं औषध मात्रा ।
24. स्वरस की परिभाषा, निर्माण विधि, पुटपनवस्तरसविधि, आर्द्र द्रव्याभाव स्वरस निर्माण विधि सामान्य सेवन मात्रा प्रक्षेप द्रव्य स्वरस योगों के कुछ उदाहरण ।
25. कल्क की परिभाषा निर्माण विधि, सामान्य सेवन मात्रा, प्रेक्षप एवं कल्क योगों के कुछ उदाहरण ।
26. क्वाथ की परिभाषा, निर्माण विधि सामान्य सेवन मात्रा, प्रक्षेप द्रव्य, यवकुट एवं क्वाथ योगों के कुछ उदाहरण प्रमथ्या, औषध, सिन्दू पानीय, क्षीरपाक, लाक्षारस, उष्णोदक ।
27. हिम की परिभाषा, निर्माण विधि, सामान्य सेवन मात्रा प्रक्षेप द्रव्य हिम योगों के कुछ उदाहरण एवं तण्डुलोदक।
28. फाण्ट की परिभाषा, निर्माण विधि, सामान्य सेवन मात्रा प्रक्षेप द्रव्य एवं फाण्ट योगों के कुछ उदाहरण।
29. विभिन्न पथ्य कल्पनाए- मण्ड, पैया, विलेपी, यवागू, यूष, कुताकृत, औषध सिद्ध यूष, भक्त, कृशरा, मन्थ पानक, रागषाडव, काम्बलिका खण्ड, मांस रस, वेशवार, घोल, मथित, तक उदशिवत।
30. औषध नामकरण ।
31. फार्मसी में प्रयुक्त आधुनिक मशीनों का ज्ञान।
A. Cutting/ Chopping Machine. B. Pulveriser. C. Mixer. D. Grinder. E Tablet making Machine. F. Tablet cutting Machine. G Taller Stripes Packing Machine. H. Juice Pressures (Explorer). 1. Pulpar. J. Granulator. K. Furnace. L. Server etc.
32. चूर्ण परिचय सामान्य चिकित्सोपयोगी निर्माण में प्रयुक्त प्राचीन एवं आधुनिक यन्त्रोपकरणों का ज्ञान
33. वाटिका, चांकेका वटक एवं मोदक की परिभाषा एवं इनकी निर्माण विधि।
34. गुग्गुलु कल्प- परिचय, निर्माण विधि एवं इसके कुछ योग
35. वर्ति कल्पना विभिन्न वर्तियों का परिचय एवं इनका निर्माण।
36. अवलेह कल्पना परिचय एवं निर्माण विधि गुड शर्करा पाक, पाक परीक्षा, प्रक्षेप द्रव्य, धनसत्व एवं इसके कुछ योग
37. खण्ड पार्क परिचय एवं निर्माण विधि
38. क्षार कल्पना परिचय एवं निर्माण विधि, कुछ योग, क्षारसूत्र निर्माण विधि।
39. सधान कल्पना परिचय आसव, अरिष्ट निर्माण विधि एवं सन्दि परीक्षा, प्रक्षेप एवं कुछ योग काजी का परिचय एवं निर्माण विधि तथा प्रयोग।
40. अजन- त्रिरूप, रसाजन, चूर्णाजन एवं इनका महत्त्व।
41. स्नेह कल्पना का परिचय, स्नेह मूर्च्छना स्नेह पाक विधि प्रकार प्रयोजन एवं परीक्षा
42. तेल- तेल तिग्नि
43. शर्करा कल्पना परिचय निर्माण विधि एवं शर्करा
44. अर्क कल्पना परिचय निर्माण विधि एवं अर्क के कुछ उदाहरण नेत्रबिन्दु का निर्माण कुछ योग ।
45. लवण कल्पना परिचय निर्माण विधि एवं कुछ योग ।
46. मसीकल्पना- परिचय निर्माण विधि एवं कुछ योग।
47. लेप, उपनाह, एवं मलहर का परिचय निर्माण विधि एवं प्रत्येक कल्पना कुछ उदाहरण ।
48. औषधि संरक्षक खादय रसायन एवं उनके प्रयोग।
49. भारत वर्ष के प्रमुख औषधि संग्रह रखरखाव वितरण एवं मिश्रण निधि का ज्ञान व्यवस्था पत्रक में प्रयुक्त संकेतो का ज्ञान।
50. औषधि मिश्रण वितरण एवं उप स्थाता के कर्तव्यों का परिचयात्मक विवरण।
51. आयुर्वेद एवं आधुनिक मतानुसार औषधि मात्रा का ज्ञान।
52. एकल औषधि एवं मिश्रण औषधियों का ज्ञान एवं उनके भेद
53. वितरण की विधी
54. व्यवस्था पत्रक का ज्ञान एवं आदर्श फार्मसिस्ट द्वारा वितरण इकाई का रख रखाव।
55. द्रण का निवासंग चवर्ग, अंजन, विडालक एवं आश्च्योतन का तकनीकी ज्ञान
56. गॉज, बेन्ज कयी, चाकू, फारसेवा साधारण एवं दंतगुव का निर्जीवाणुकरण एवं यंत्रों का बहिरंग चिकित्सालय में प्रयोग का ज्ञान
57. व्यवसायिक गणित, आय व्यय का विवरण, मूल्य निर्धारण, एकाउंटेंसी एवं लेखा परीक्षण
58. आद्योगिक प्रवधन एवं विपणन का संक्षिप्त ज्ञान

59. रसशाला की कार्यविधि द्रव्यों का संग्रह संरक्षण एवं विधिवत वर्गीकरण औषधि का ज्ञान।
60. औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया का ज्ञान

(M) **होम्योपैथी कम्पाउण्डर पाठ्यक्रम**

शरीर रचना (एनाटॉमी) :-

1. सामान्य गर्भ की उत्पत्ति, भ्रूण विज्ञान, गर्भ से जन्म तक शरीर का विकासक्रम।
2. मानव शरीर के अंग प्रत्यंग, कोष, अवयव, त्वचा, कला, लिगामेंट, आदि।
3. अस्थि, उनकी संख्या, भेद, स्थान, दांत, नख, केश, अस्थि संधि भेद।
4. मांसपेशी उनकी संख्या एवं प्रकार।
5. शिरा, धमनी, केश वाहिनी, लिम्फ मसल्स और नोड्स का सामान्य ज्ञान।
6. रक्त संगठन, रक्त परिचाप तथा हृदय की रचना।
7. स्वास संस्थान, स्वर यंत्र, श्वासनली, श्वसन प्रणाली व फेफड़ों का वर्णन
8. पाचन संस्थान के अवयवों की रचना और स्थिति का ज्ञान
9. मूत्र संस्थान के अंगों का संक्षिप्त परिचय।
10. प्रजनन संस्थान, पुरुष व स्त्रियों की जननेन्द्रियों, शुक्राणु, अंडकोश, डिम्ब, गर्भाशय, ओवरी आदि का संक्षिप्त परिचय।
11. संधि तंतु संस्थान का संक्षिप्त परिचय।
12. नली विहीन ग्रंथियों के नाम, स्थिति तथा कार्य का संक्षिप्त परिचय।
13. ज्ञानेन्द्रियों की रचना, संख्या, स्थिति तथा कार्य का संक्षिप्त परिचय।

शरीर किया विज्ञान (फिजियोलोजी) :-

1. कोशिका तथा इसके प्रकार उत्तक तथा शरीर के अंग।
2. प्रोटोप्लाजम इसके संगठन, प्रोटीन की रासायनिक संरचना, कार्बोहाइड्रेट एवं एंजाइम।
3. ज्ञानतंतु तथा मसल्स क्रिया विज्ञान, मसल्स के प्रकार।
4. रक्त का संगठन, परिभाषा, वाल्यूम, रक्त के कार्य, प्लाजमा, हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना और इसके मिश्रण रक्त का जमना व रक्त समूह।
5. हृदय संस्थान- हृदय पेशी की बनावट और इसके गुण, हृदय के कार्य, रक्त परिभ्रमन् धमनियों की बनावट, शिरा तथा केशवाहिनी तथा नाड़ी, रक्त दाब आदि।
6. स्वास संस्थान- श्वास प्रश्वास के अंगों की बनावट, कार्य, श्वास प्रश्वास- आंतरिक तथा बाह्य श्वासन आदि।
7. पाचन संस्थान- भोजन का पाचन, उसमें सहायक अंगों के कार्य, विभिन्न पाचक रस नाम व उसकी क्रियाएं।
8. ज्ञानेन्द्रियों- दृष्टि श्रवण, स्वाद गंध, त्वचा।
9. गुर्दे की संरचना- कार्य, संक्षिप्त परिचय, मूत्र, पसीना आदि।
10. पुनरोत्पत्ति संस्थान- पुरुष तथा महिला के जनन अंगों के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन।

होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एवम् आर्गनन :-

- अ. निम्न होम्योपैथिक औषधियों का संक्षिप्त परिचय सूची -** 1. एकोनाइट नेप 2. इथूजा साइनेपियन 3. एलोज 4. एटिम टार्ट 5. एपिस मेल 6. अर्जेन्टम नाइट्रिकम 7. आर्निका 8. अरान मेट 9. बेप्टीशिया 10. आर्सेनिक अल्ब 11. बेरायटा कार्ब 12. बेलाडोना 13. ब्रायोनिआ 14. कैक्टस जी 15. केल्वेरिया कार्य 16. केयरित 17. कार्बा वेज 18. कास्टिकम 19. केमोमिला 20. चायना 21. चेलीडोनियान 22. कोलोथि 23. कोनियन 24. क्यूम मेट 25. डिजीटेलिस 26. उल्कामारा 27. फेरम नेट 28. जेल्सेमियम 29. ग्राफाइडिस 30. हेमामिनिस 31. हीपरसल्फ 32. हायोसियामस 33. इग्नेशिया 34. इपीकाक 35. काली बाईकोम 36. काली कार्य 37. लेकेसिस 38. लेडम पाल 39. लाइकोपोडियम 40. मर्क साल 41. नेट्रम म्यूर 42. नाइट्रिक एसिड 43. नक्स योमिका 44. फासफोरस 45. पोडोफाइलम 46. पल्सेटिला 47. रस टाक्स 48. सीपिया 49. सल्फर 50. बेरेट्रम एला

- ब. बायोकेमिक औषधियों की सूची :-** 1. केल्वेरिया फलोर 2. केल्वेरिया फास 3. केल्वेरिया सल्फ 4. फेरम फास 5. केली म्यूर 6. केली फास 7. केली सल्फ 8. भेग फास 9. नेट्रम म्यूर 10. नेट्रम फास 11. नेट्रम सल्फ 12. साइलीसिया

स. होम्योपैथिक चिकित्सा के सिद्धांत संबंधी 1 से 70 एफोरिजमस

होम्योपैथिक फार्मसी :-

1. परिचय तथा होम्योपैथिक फार्मसी की विशेषता।
2. होम्योपैथिक फार्मसी को मटेरिया मेडिका तथा राष्ट्रीय बचत से संबंध।
3. वनज नाम होम्योपैथिक दार्शनिक तथा सताशनिक प्रणाली माप।
4. होम्योपैथिक औषधि विज्ञान संबंधी (फार्मास्यूटीकल) यंत्र और उपकरण।
5. होम्योपैथिक औषधियों के स्त्रीत औषधि द्रव्य एकत्र करने के तरीके, पहचान करना, शोधन करना, खराब होने से बचाव करना तथा शक्तिकृत औषधियों का रखरखाव करना।
6. औषधि वह वहीकल - उनको बनाना तथा प्रयोग, उनका परिशोधन, सरासार की प्रमाणित शक्ति का निर्धारण करना।
7. आर्गेनिक तथा इनार्गेनिक रसायनों, प्राणियों तथा प्राणी जन्म पदार्थों, रोग जन्म पदार्थों से औषधि निर्माण की विधियां।
8. मूल अर्क, घोल, शक्तिकरण तथा विचूर्ण बनाने की विधियां, उनका परिशोधन, सरासार की प्रमाणित शक्ति का निर्धारण करना।
9. शक्ति परिवर्तन (लाक्शन पोटेन्सी) विचूर्ण को तरल में रूपांतरण या परिवर्तन करना।
10. बाह्य प्रयोग की औषधि लोशन, लिनिमेन्ट, ग्लिसरोल, मल्हम या परिवर्तन करना।
11. उपचार पत्रक - इसका अध्ययन, सेंटिसिमल चिन्ह, प्रिस्कीपशन लिखने का महत्व तथा सिद्धांत व तरीका।
12. औषधियों का अध्ययन, औषधि शक्ति होम्योपैथी औषधियों के क्रिया का अध्ययन (फार्माकोडायनामिक्स) शक्ति, गति डायनामिक्स पावर औषधि की खुराक संबंधी ज्ञान तथा इससे चिकित्सा।
13. औषधि पदार्थ तथा औषधि वह (वहीकल) के मानक स्तर का संक्षिप्त अध्ययन।
14. सामान्य प्रयोगशाला विधिया, रासायनिक घोल, मिश्रण, तली में बैठना, छननापरिश्रुतिकरण, रवेदार बनाना, उन्नत शोधन करना (सब्लीमेशन), निधारना (परकोलेशन) इत्यादि का संक्षिप्त ज्ञान।
15. होम्योपैथिक फार्मसी में प्रयोग होने वाले यंत्र, उपकरण एवं सामग्रियों की पहचान, उपयोग और उन्हें साफ करने के तरीके।
16. कुछ होम्योपैथिक औषधि पदार्थों की पहचान - वनस्पति परिवार से, रासायनिक परिवार से।

17. होम्योपैथिक औषधियों को एकत्र कर हरबेरियम बनाना।
18. रोगी उपचार पत्रक पढ़कर औषधि वितरण करना तथा उसकी खुराक लेने का तरीका बिताना।
19. शक्तिकृत औषधि से उसका वितरण हेतु ग्लोब्यूलस बनाकर डिस्पेंसिंग काउंटर पर व्यवस्थित बताना।
20. तीन मूल अंको से 3 शक्ति तक तैयार करना।
21. बाह्य प्रयोग हेतु लोशन लिनामेंट तैयार करना।
22. सवलीमेशन, डिस्टीलेशन, स्टरलाइजेशन, परकोलेशन आदि।
23. एक होम्योपैथी लेबोरेटरी का अध्ययन दौरा।

मातृ एवम शिशु रोग परिचय एवं उपचार :- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, स्कूल स्वास्थ्य मेला तथा स्वास्थ्य शिक्षा आदि। प्रसूति से संबंधी रोग परिचय एवं उपचार, बालरोग एवं उनका उपचार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याएँ, नगरीय एवं पिछड़े क्षेत्र अन्य स्वास्थ्य संबंध समस्याएँ उनका प्रशासन तथा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंध. परिवार कल्याण के साथ ही रोग निवारण एवं प्रतिरोधक संबंधी औषधिया, गर्भ निरोधक, जनसंख्या नियंत्रक, स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित आर्थिक पहलू और वातावरण।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सांख्यिकी एवम पंजियों का संधारण :- रोकथाम करने वाली औषधियाँ. स्वास्थ्य के लक्षण, रोगों और अरोग्य के कारणों के सामाजिक कारण रोगी से संबंधित सामाजिक समस्याओं, सामुदायिक रूप से फैलने वाले रोग जैसे प्लेग, चेक, डिप्थीरिया, कुष्ठ, क्षय, मलेरिया, कालीखासी, मीजल्स, चिकेनपाकत, पीलिया, यकृतशोध, दृष्टिरोग, आनज्यर, पेचित आदि का संक्षिप्त वर्णन और उनके रोकथाम के उपाय टीकाकरण, आदि. स्वास्थ्य संबंधी सांख्यिकी सिद्धांत का प्रारंभिक मौलिक ज्ञान, रिकार्ड कीपिंग।

आकस्मिक चिकित्सा एवं व्यक्तिगत एवं पब्लिक हाइजीन :-

1. फिजियोलोजिकल हाइजीन :- भोजन और पोष्टिक पदार्थ भोजन का स्वास्थ्य और रोग से संतुलित आधार पोष्टिक आहार की न्यूनतम और सर्वेक्षण खाददय अपमिश्रण और उसकी जाँच दूध की परीकृत करना तथा आहार एवं निर्माण संबंधी जानकारी व विकृत भोजन से होने वाले फूड पाइजनिंग. वायु प्रकाश, सूर्य का प्रकाश. मौसम का प्रभाव आदता, ताप तथा अन्य मौसम विज्ञान संबंधी परिस्थितियाँ तथा आतामदायक क्षेत्र (कम्फर्टजॉन) ज्यादा भीड़ के दुष्प्रभाव। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सफाई, आराम, नींद, कार्य, शारीरिक व्यायाम संबंधी शिक्षण का सामान्य व्याख्ययन।
2. वातावरण जन्य स्वास्थ्य सफाई :- परिचय व महत्व. वातावरण प्रदूषण, बायु सुद्धीकरण, वायुजनित रोगों का संक्षिप्त परिचय। जल प्रदाय स्त्रीत और उपयोग, अशुद्धता और शुद्धीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक जल प्रदाय। पीने का पानी के मानक आदर्श जल जन्य रोग का संक्षिप्त परिचय। रुद्धिवादिता कन्सरवेसी ग्राम एवं नगर में प्रचालित शोचालय सेप्टिक टैंक आदि. नलियो जल तथा गंदगी निकाय की व्यवस्था करना। त्यौहार एवं मेलों में सफाई व्यवस्था. रोगाणु दूर करने वाली गंध निवारण, सडन व संक्रमण रोकने वाली या कीटाणुओं को मारने के तरीके, रोगाणु दूर करना तथा निष्कटन डिस अन्फक्सन या स्टरलाइजेशन. कीड़े-मकोड़े मारक औषधियों, रोगों से संबंधित कीड़े मकोड़े दूर करता, उनके नियंत्रण। परजीवी कीड़े अन्य रोग और परजीवियों से संबंधित संक्षिप्त विवरण.

(N) यूनानी कम्पाउण्डर पाठ्यक्रम - यूनानी तिब का बुनियादी तार्क

उमूरे तबिया :- इल्मे तिब की तारीफ, मोजुआ, गर्ज ओ गायत, तबियत की तारीफ व अहमियत. अरकान, मिजाज, अखलात, आज्ञा, अरवाह, कुवा, अफजाल का मुख्तसिर बयान.

तशरीहुल बदन (एनाटमी) :- तारीफ, एनाटमिकल, पोजीशन, मुताल्लिका इस्ताहालत. स्केपुला, क्लैविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीविया. नौ ज्वाइन्ट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइन्ट, शोल्डर जॉइंट. क्लब्ड, कल्ब, रिया, कुल्लिया मेदा. निजामे आसाव का बुनियादी तार्क.

मुनाफुल आज्ञा (फिजियोलोजी) :- खिलिया व नसीज का मुख्तसिर बयान, खून के अजज्ञा व अफआल, कुरियात हुमरा की साख्त व अफआल, खून का इन्जमाद. निजामे हजम - लुआबे दहन, रतूबते मेदा, रतूबते अमाआ, राबते सफराविया.

तहफफुजी व समाजी तिब (प्रीवेंटिव एण्ड सोशल मेडिसन) :- वैक्सनेशन (नेशनल इम्मयूनाईजेशन शिड्यूल), असबाबे सित्ता जरूरया, फेमिली प्लानिंग, डब्लूएचओ, यूनिसेफ, ऐटिनेटल केयर.

इल्मुल अमराज व सरीरयात (पैथोलोजी एण्ड क्लिनिकल मेडिसन) :- इल्मुल अमराज व सरीरयात का बुनियादी तार्क, इनफिलामेशन, नेकरोसिस, गैंगरीन.

समस्त उमूरे तबिया की तारीफ एवं अक्साम। स्केपुला, क्लैविकल, हुमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीविया का हिमान्सट्रेशन। क्लब, कल्ब, रिया, कुल्लिया, मेदा का माडल व चार्टर्स द्वारा ज्ञान। निजामे हजम का माडल व चार्टर्स द्वारा ज्ञान. असबाबे सित्ता जरूरया.

इल्मुल अदविया व सैदला

कुल्लियाते अदविया :- इल्मुल अदविया का तारीफ व अक्साम, दवा, दवाओं के अक्साम, गिजा, दवा-ए-सम्मू, सम्मे मुतलक, अशकाले अदविया. इस्तिलाहात - अक्कात, जाली, जाजिब, हबिसुद्धम, रादेअ, मुजफफिफ, मुहल्लिल, मूलाय्यन, मुन्जिज, मुस्लिह, मुजलिक, मुफत्तिते हिसात, मुफर्रह, मुदम्मिल, दाफेअ ताफफुन, दाफेअ हुम्मा, दाफेअ तान्नुज, मुखदिद्धर, मुसक्किने अलम, मुनक्विम, काविज, कातिले दीदान, कासिरे रियाह, मुगल्लिलज, मौअल्लिदे मनी, मुलज्जौ मुमसिक, मुदिरे बोल व हैज.

मुफरदात :- आवरेशम, मुश्क, अम्बर, जुन्दवेदस्तर, खरातीन, कफे दरिया, मरवारीद। गन्धक, नौशादर मुरदार संग, सीमाव, सम्मुलकार, अबरक, हजरुल यहूद, संगे जराहत। अवहल, अतीस, इजखर, अजाराकी, अरुसा, असगन्ध, असरोल, आमला, अनार, असलउस्सूस, बाबूना, बावची, बादयान, विहीदाना, बहमन सुखे, बहमन सफेद, जामुन, जदवार, चिरायता, खतमी, खुब्बाजी, जाफरान, जन्जवील, जीरा, शाहतरा, सन्दल सुखे, सन्दल सफेद, करनफल, आकिर करहा, मको, हलैला जर्द, हलेला कावली, हलेला सियाह।

मुक्कबात :- इत्रीफल उस्तोखुदुस, जवारिश कम्नी, माजूने फलास्फा, खमीरा मरवारीद, शरबते वुजूरी, लउक सपिस्ता, हब्बे कविद नौशादरी, कुर्स तवाशीर, कुश्ता कलई, मरहम दाखिलयून, अर्क गुलाब, केरुती आरदे कुर्सना, शयाफे अवयज, जिमादे जालीनूस, तिला सुखे.

सैदला :- सैदला की तारीफ व अहमियत. आमाले दवासाजी: देक, रज, तहमीस, तदहीन, तशविया, तरबीक, तजफीफ, तबलौर, तबखीर, तरसीव, एहराक, तकलीस, तकशीर, धनाव, तहबीब, इरगा, तसवील, मतबूख. अदविया से रोगन कशीद करना। अदनिया का मुदब्बिर करना, जीरा, अफयून, अन्जरुत, ऐलवा, भिलावा, अजाराकी, गन्धक, पारा, गारीकून, हलेला। दवाओं का तहफफुज, दवाओं की पैकिंग, फार्मसी के रिकार्ड का रख रखाव, दवाओं का वितरण।

प्रारूप-1

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
- (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

61. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
62. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकट (मूल प्रति) ।
63. जाति/ द्वियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
64. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

प्रति,

.....
.....

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

**परीक्षा का नाम :- समूह-5 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टाँफ, पैरामेडीकल स्टाँफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु
संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2024**

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. लिंग (पुरुष/महिला) :-
5. जन्मतिथि :-
6. आदिम जनजाति का नाम :-
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :-
8. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-
9. कार्यअनुभव का विवरण :-
10. विशेष/अन्य विवरण :-
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:-
12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:-
13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :-

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
फोटोग्राफ संलग्न
करे

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....

दिनांक :-

निवास का पता :-

.....

मोबाईल/दूरभाष नं. :-